राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018/ए–851 जयपुर, दिनांक : 03.01.2019

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.12.2018 के द्वारा डा. आनन्द कुमावत, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग), जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर का बकाया एवं आगामी वेतन डा. सर्वेश शरण जोशी, चिकित्सा अधिकारी जो लम्बे समय से जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर से अनुपस्थित है, के पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. कुमावत का माह अगस्त, 2018 तक का वेतन उपस्थिति के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से एवं दिनांक 01.09.2018 से आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में डा. वन्दना त्यागी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की ज़ाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2– निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
3– अधीक्षक, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 13856–61 दिनांक 27.12.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि डा. सर्वेश शरण जोशी, चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति से हुए रिक्त पद से डा. मनीषा गोयल का वेतन पूर्व की भांति ही आहरित करवाया जावे।
4– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन, जयपुर
5– डा. आनन्द कुमावत, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग), जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर
6– डा. मनीषा गोयल, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर
7– रक्षित पत्रावली

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव